कौटिल्य एकेडमी

www.kautilyaacademy.com IAS • IPS • MPPSC • CJ-II

CURRENT AFFAIRS

26TH JUNE 2023

NATIONAL CURRENT AFFAIRS
राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स

INTERNATIONAL CURRENT AFFAIRS
अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स

HISTORICAL EVENTS
ऐतिहासिक घटनाएं

MISCELLANEOUS
विविध

FAMOUS PERSONALITY
प्रसिद्ध व्यक्तित्व

SWIPE

जोहा चावल

- भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में उगाया जाने वाला सुगंधित-जोहा चावल (JOHA RICE) ब्लड ग्लूकोज को कम करने और मधुमेह (DIABETES) की शुरुआत को रोकने में प्रभावी है। यही कारण है कि वैज्ञानिकों ने जोहा चावल को डायबिटीज प्रबंधन में एक श्रेष्ठ और प्रभावी न्यूट्रास्युटिकल बताया है।
- भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में उगाया जाने वाला सुगंधित जोहा चावल (JOHA RICE) ब्लड ग्लुकोज को कम करने और मधुमेह की शुरुआत को रोकने में प्रभावी है और इसलिए मधुमेह नियंत्रण में प्रभावी न्यूट्रास्युटिकल है। यह असम का GI टैग प्राप्त चावल है।
- जोहा एक लघु दाना वाला शीतकालीन धान है जो अपनी सुगंध और स्वाद के लिए जाना जाता है।
- जोहा चावल के उपभोक्ताओं में मधुमेह और हृदय रोगों की घटनाएं कम होती हैं, लेकिन इन्हें वैज्ञानिक रूप से सत्यापित किए जाने की आवश्यकता थी ।
- एडवांस स्टडी इंस्टीट्यूट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (IASST) के वैज्ञानिकों ने सुगंधित जोहा चावल के न्यूट्रास्युटिकल गुणों का पता लगाया है। शोध में सुगंधित जोहा चावल के न्यूट्रास्युटिकल गुणधर्मों का पता लगाया।

- इन विट्रो प्रयोगशाला विश्लेषण के माध्यम से शोधकर्ताओं ने दो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अर्थात् लिनोलिक एसिड / LINOLEIC ACID (ओमेगा-6) और लिनोलेनिक /LINOLENIC (ओमेगा-3) एसिड का पता लगाया।
- यह अनिवार्य फैटी एसिड (जिसका मानव उत्पादन नहीं कर सकता) विभिन्न शारीरिक स्थितियों को बनाए रखने में मदद कर सकता है।
- ओमेगा-3 फैटी एसिड मधुमेह, हृदय रोगों और कैंसर जैसे कई मेटाबोलिक रोगों से बचाव करता है।
- जोहा ब्लड ग्लुकोज को कम करने और मधुमेह संक्रमित चूहों में मधुमेह की शुरुआत को रोकने में भी प्रभावी साबित हुआ है।
- शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि सुगंधित जोहा चावल में व्यापक रूप से उपभोग की जाने वाली गैर-सुगंधित किस्म की तुलना में ओमेगा-6 से ओमेगा-3 का अधिक संतुलित अनुपात होता है।
- जोहा चावल कई एंटीऑक्सिडेंट, फ्लेवोनोइड्स और फेनोलिक में भी समृद्ध है।
- जोहा एक छोटे दाने वाला शीतकालीन धान है जो अपनी बेहतरीन सुगंध और स्वाद के लिए विख्यात है।

- यह चावल असम तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में उगाया जाता है
- इसका उपयोग विशेष रूप से असमिया व्यंजन और मिठाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है।

कौटिल्य एकेडमी
KAUTILYA ACADEMY INDORE

'रूस में प्राइवेट आर्मी 'वैगनर ग्रुप

- पिछले एक साल से यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रही रूस की सेना ने बगावत कर दी है। रूस के प्रभावशाली सैन्य ठेकेदार वैगनर ग्रुप के मालिक येवगेनी प्रिगोझिन ने रूसी रक्षा मंत्री को हटाने के लिए सशस्त्र विद्रोह का आह्वान किया।
- रक्षा मंत्रालय ने प्रिगोझिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वैगनर ग्रुप के सैनिकों ने रोस्तोव शहर पर कब्जा कर लिया है। किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की।
- रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस (FSB) की नेशनल एंटी टेररिज्म कमेटी (NATC) ने सैनिकों से अपील की है कि वे प्रिगोझिन के आदेश मानने से इनकार कर दें। एफएसबी ने प्रिगोझिन की बगावत को रूसी सेना की पीठ में छुरा घोंपने जैसा बताया है। राष्ट्रपति व्लाडिमीर पुतिन को इसके बारे में जानकारी दे दी गई है।
- रूस के सैन्य नेतृत्व को उखाड़ फेंकने की धमकी देने वाला वैगनर ग्रुप भाड़े के सैनिकों की एक निजी सेना है जो यूक्रेन में नियमित रूसी सेना के साथ लड़ रही थी और भी तक इसके हजारों सैनिक इस लड़ाई में भाग ले रहे थे।

- वर्ष 2014 में इस सेना के पास 5,000 से अधिक सैनिक थे, जिसमें रूस की विशिष्ट रेजिमेंट और विशेष बलों के सैनिक शामिल थे।
- वैगनर समूह ने 2022 में एक कंपनी के रूप में खुद को रजिस्टर किया था और सेंट पीटर्सबर्ग में एक नया मुख्यालय खोला था।
- वैगनर आर्मी को पहली बार 2014 में पहचान मिली जब वह यूक्रेन में रूस समर्थक अलगाववादी शक्तियों का समर्थन किया। शरू में यह एक सीक्रेट ऑर्गेनाइज़ेशन के रूप में करू कर रहा था, जो अधिकतर अफ्रीका और मिडल ईस्ट में एक्टिव था।
- वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोझिन ने रूस के रक्षामंत्री को बाहर करने के लिए मास्को की ओर मार्च करने का फैसला किया था। उनके इस बयान से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन काफी नाराज है और उन्होंने इसे 'विश्वासघात' बताया है. हालाकि इस आर्मी ने रूस की राजधानी मास्को में न घुसने का फैसला किया है।
- कथित तौर पर वैगनर ग्रुप रुसी सेना के कुछ फैसलों से नाराज है जिस कारण उन्होंने रूस की सेना से अलग होने और इसके खिलाफ युद्ध लड़ने का फैसला किया है।
- वैगनर ग्रुप की स्थापना में पूर्व रूसी सेना अधिकारी, दिमित्री उत्किन की कथित सलिप्तता को जिम्मेदार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वह वैगनर के पहले फील्ड कमांडर थे और उन्होंने अपने पूर्व

रेडियो कॉल साइन के नाम पर इसका नाम रखा था. वर्तमान प्रमुख येवगेनी प्रिगोझिन एक अमीर व्यवसायी हैं जिन्हें "पुतिन का शेफ" उपनाम से जाना जाता है।

- किंग्स कॉलेज लंदन में सुरक्षा विशेषज्ञ ट्रेसी जर्मन के अनुसार, वैगनर ग्रुप का पहला ऑपरेशन 2014 में रूस को क्रीमिया पर कब्ज़ा करने में मदद करना था। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि यूक्रेन में वैगनर के लगभग 80% सैनिकों को जेलों से हटा दिया गया है।
- वैगनर ग्रुप रुसी सेना के साथ मिलकर पूर्वी यूक्रेन के बखमुत शहर पर कब्जा करने में काफी मदद की थी। हालांकि शुरू में रुसी रक्षा मंत्रालय ने, वैगनर समूह के युद्ध में शामिल होने का खुलासा नहीं किया था. लेकिन बाद में उन्होंने इनकी भूमिका की प्रशंसा की थी।
- ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की मानें तो गनर ग्रुप के 50 हजार से ज्यादा सैनिक यूक्रेन में मौजूद है। यूक्रेन में युद्ध के लिए इस ग्रुप ने सैनिकों की भर्ती का अभियान भी चलाया था। यूक्रेन में जारी युद्ध में वैगनर ग्रुप का काफी महत्वपूर्ण रोल है लेकिन उनके हाल के फैसलों ने रुसी नेतृत्व को संकट में डाल दिया है।

भारतीय प्रधानमंत्री की मिस्र की राजकीय यात्रा

- हाल ही में भारतीय प्रधान मंत्री मोदी ने मिस्र की अपनी पहली राजकीय यात्रा पूरी की। यह 26 वर्षों में किसी भारतीय प्रधान मंत्री की मिस्र की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। इस यात्रा पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान 'ऑर्डर ऑफ द नाइल' से सम्मानित किया गया।
- दोनों देशों ने तीन और समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए: कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण:'और प्रतिस्पर्धा कानून पर ।
- 15 अगस्त, 1947 को आजादी मिलने के तीन दिन बाद ही दिल्ली ने काहिरा के साथ द्विपक्षीय संबंध स्थापित किए।
- साझेदारी तब फलने-फूलने लगी जब भारत के पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के दूसरे राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर करीब आए।
- दोस्ती की पहली परीक्षा 1956 के स्वेज नहर संकट के दौरान हुई जब नासिर ने मिस्र पर हमला करने के लिए इजराइल और बाद में फ्रांस और ब्रिटेन की ओर जाने वाली नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया।

- नेहरू ने काहिरा के खिलाफ आक्रामकता की निंदा करने में कोई समय नहीं गंवाया और विरोधी दलों के बीच मध्यस्थता के लिए कई कदम उठाए, जिसमें अमेरिका से मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहना भी शामिल था।
- 2 नवंबर, 1956 को पारित अमेरिका प्रायोजित यूनाइटिंग फॉर पीस प्रस्ताव ने लड़ने वाली सेनाओं को युद्धविराम रेखा के पीछे धकेल दिया और इस शाति समझौते को आइजनहावर नेहरू फॉर्मूला के रूप में जाना गया।
- नेहरू और नासिर के बीच संबंध और मजबूत हो गए। उदारवादी और उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों के प्रबल समर्थकों, दो करिश्माई नेताओं ने यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसिप ब्रोज टीटो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो और घाना के राष्ट्रपति क्वामे नक्रमा के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- इस विशेष रिश्ते के कारण ही भारत मिस्र और अरब जगत के साथ मजबूती से खड़ा रहा जब फिलिस्तीन को लेकर उनका इजरायल के साथ टकराव हुआ-दिल्ली ने 1992 तक तेल अवीव के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए थे।

- 1960 के दशक के बाद भारत मिस्र के प्रगाढ़ संबंधों में एक प्रकार की गिरावट देखी गई। पूरे 1970 के दशक से लेकर और उसके बाद अभी तक ये रिश्ते मात्र व्यापारिक स्तर पर ही रहे हैं।

असम में परिसीमन

- भारतीय निर्वाचन आयोग ने असम में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन का मसौदा प्रकाशित किया है, जिसमें राज्य में सीट संख्या तो समान रखी गई है, लेकिन कुछ निर्वाचन क्षेत्रों का नाम बदलने का प्रस्ताव है और कथित तौर पर मुस्लिम मतदाताओं की शक्ति को कम करने के लिए कई क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित किया गया है।
- भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित मसौदा प्रस्ताव के अनुसार, परिसीमन के बाद असम में लोकसभा और विधानसभा ,क्षेत्रों की संख्या अपरिवर्तित रहेगी, जो कि क्रमशः 14 और 126 हैं लेकिन चार विधानसभा सीटें सामान्य श्रेणी से आरक्षित की श्रेणी में डाल दी गई हैं, और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में तीन सीटें और शामिल कर दी गई हैं।
- परिसीमन का यह मसौदा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 8-ए के प्रावधान के अनुसार तैयार किया गया है।
- संविधान के अनुच्छेद 170 और अनुच्छेद 82 के अनुसार,असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है।

- अनुच्छेद 170 और 82 के अनुसार, प्रत्येक राज्य की विधान सभा में सीटों की संख्या और राज्यों को लोक सभा में सीटों का आवंटन तब तक नहीं बदला जाएगा जब तक कि वर्ष 2026 के बाद पहली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित नहीं किए हो जाते।
- असम में पिछली बार परिसीमन वर्ष 1976 में किया गया था।
- असम राज्य में विधान सभा और लोक सभा में सीटों की संख्या क्रमशः 126 और 14 निर्धारित की गई है।
- विधान सभा की 126 सीटों में से 19 सीटों को अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा 09 सीटों को अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किया गया है।
- लोक सभा की 14 सीटों में से 2 सीटों को अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा 1 सीट को अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किया गया है।
- सभी निर्वाचन क्षेत्रों को यथा संभव भौगोलिक रूप से सुगठित क्षेत्र बनाने का प्रयास किया गया है और उनके परिसीमन में भौतिक विशेषताओं, जनसंख्या के घनत्व, प्रशासनिक इकाइयों की मौजूदा सीमाओं, संचार सुविधाओं और जन सुविधा को ध्यान में रखा गया है।

- परिसीमन, लोकसभा और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को परिभाषित करने की प्रक्रिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक सीट पर मतदाताओं की संख्या लगभग समान हो।
- निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार, "परिसीमन अभ्यास के दौरान, आयोग भौतिक सुविधाओं, प्रशासनिक इकाइयों की मौजूदा सीमाओं, संचार की सुविधा और सार्वजनिक सुविधा को ध्यान में रखता है।
- भारत निर्वाचन आयोग;-इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी।यह एक संवैधानिक संस्था है, जो देश में चुनावों को संपन्न कराती है।
- भारत के संविधान में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है।
- अनुच्छेद 324- चुनावों को कराने, नियंत्रित करने, दिशा निर्देश देने, देखरेख की चुनाव आयोग की जिम्मेदारी।
- अनुच्छेद 325- धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को वोटर लिस्ट में शामिल न करने और इनके आधार पर वोटिंग के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान।

- अनुच्छेद 326- लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा।
- अनुच्छेद 327- चुनाव से जुड़े प्रावधानों को लेकर संसद को कानून बनाने की शक्ति।
- अनुच्छेद 328- किसी राज्य के विधानमंडल को चुनाव से जुड़े कानून बनाने की शक्ति।
- अनुच्छेद 329- चुनाव से जुड़े मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर अंकुश।
- निर्वाचन आयोग की शक्तियां एवं कार्य
  - संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत. के निर्वाचन क्षेत्रों के भू-भाग का निर्धारण करना।
  - समय-समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करना और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना।
  - निर्वाचन की तिथि और समय-सारणी निर्धारित करना एवं नामांकन पत्रों का परीक्षण करना।
  - राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना एवं उन्हें निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना।
  - राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और चुनाव चिन्ह देने के मामले में हुए विवाद के समाधान के लिए न्यायालय की तरह काम करना।

- निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करना।
- निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना।

कौटिल्य एकेडमी